संख्या / II–2006–03(04) / 06

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 22 जून 2006

विषय : वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2006–07 में आयोजनागत मद में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से रूपये 554.25 (रूपये पाचं करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है, को आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शारान को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण – पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.....2

शासनादेश संख्या 324 / II–2006–03(04) / 06 दिनांक 22-06-2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.स.	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
1	2	3
1	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–जमरानी बांध (आयोजनागत) 800–अन्य व्यय 02–अन्य रखरखाव व्यय 01–निर्माण कार्य 24–वृहद् निर्माण कार्य	8.25
2	16–हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का वैकल्पिक मार्ग 800–अन्य व्यय (आयोजनागत) 02–अन्य रखरखाव व्यय 01–गंगानहर सेवा मार्ग 24–वृहद निर्माण कार्य	375.00
3	4701–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य (आयोजनागत) 003–प्रशिक्षण 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	21.00
4	004–शोध कार्यक्रमों का विस्तार (आयोजनागत) 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	37.50
5	005–सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (आयोजनागत) 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	75.00
6	006–परिकल्प तथा प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण (आयोजनागत) 03–निर्माण कार्य 42–अन्य व्यय	37.50
	योग	**554.25**

(रू0 पांच करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव